भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry.
Office of the Developement Commissioner.
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

फ़ाइल नं:- SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/09637 दिनांक:-18.07.2025

सार्वजनिक सूचना संख्या:- 06/2025
Public Notice No.:- 06/2025

विषय: कर्मचारियों के परिवहन हेतु बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइस की अनिवार्य स्थापना – अंतिम तिथि: 24.07.2025
Subject: Mandatory Installation of Face Detection Devices in Employee Transport Buses – Deadline: 24.07.2025

To
All SEEPZ Units Operating Bus Services,

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं, सीप्ज़परिसर में सुरक्षा और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारियों के परिवहन में प्रयुक्त सभी बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइस की स्थापना की जा रही है।

As you are aware, SEEPZ is currently in the process of installing face detection devices in all buses used for employee transportation, as part of our ongoing efforts to enhance security and monitoring within the zone.

गेट पास प्रणाली के अनुसार, वर्तमान में 183 बसें विभिन्न इकाइयों द्वारा कर्मचारियों के आवागमन हेतु उपयोग की जा रही हैं। परंतु यह देखा गया है कि अब तक केवल 77 बसों में ही फेस डिटेक्शन डिवाइस का ऑर्डर देकर इंस्टॉलेशन पूर्ण किया गया है। कुछ मामलों में VAMS टीम द्वारा डिवाइस कॉन्फ़िगर कर दिए जाने के बावजूद संबंधित इकाइयों द्वारा स्थापना अब तक नहीं की गई है।

As per the records from the Gate Pass system, a total of 183 buses are currently being used by various units for commuting employees. However, it has been observed that only 77 buses have had the face detection devices ordered and installed so far. In some cases, even though the devices have been configured by the VAMS Team, the concerned units have not yet completed the installation.

यह दोहराया जाता है कि विकास आयुक्त द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिस भी बस में गुरुवार, 24.07.2025 तक फेस डिटेक्शन डिवाइस नहीं लगाया जाएगा, उसे डिवाइस लगाए जाने तक कर्मचारियों के परिवहन के उद्देश्य से सीप्ज़-सेज़

This is to reiterate that, as per the directive issued by the Competent Authority, any bus that does not have a face detection device installed by Thursday, 24.07.2025, will not be permitted entry into the SEEPZ premises for the purpose of transporting employees till the

परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अतः, सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने सभी कर्मचारियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइस की स्थापना तुरंत पूर्ण करें।

आपका सहयोग सीप्ज़ की सुरक्षा और कार्य संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

device is install.

All units operating buses are hereby instructed to immediately complete the installation of face detection devices in all vehicles used for employee transportation.

Your cooperation in ensuring full compliance is essential for maintaining the security and operational discipline of SEEPZ.

18-7-25

(मयूर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़

प्रति,

- सभी द्वार प्रभारी
- सभी सीप्ज़ सुरक्षा रक्षक